



बुलन्दशहर पुलिस



OPERATION CONVICTION

अवैध छुरी बरामदगी के आरोपी को 482 दिन का कारावास

दिनांक- 06.05.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे "Operation Conviction" के तहत बुलन्दशहर पुलिस व अभियोजन विभाग की समन्वित प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप **थाना स्याना पर अवैध छुरी बरामदगी के** सम्बन्ध में पंजीकृत मु०अ०सं०-28/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त **श्रीपाल उर्फ रेशू पुत्र हरी निवासी मौ० पूडा वाला थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर** को मा०न्याया० एसीजे/एसडी-02 जनपद बुलन्दशहर द्वारा 482 दिन का कारावास व 500/- रुपये जुर्माना से दण्डित किया गया।



श्री मृत्युञ्जय सिंह
(ADGC)



नि. श्री यशपाल सिंह
(प्रभारी मॉनीटरिंग सैल)



का० जयकिशन
(पैरोकार)



का० निशान्त कुमार
(कोर्ट मोहर्रि)